2023/1107

खाता सं० 200

रिपोर्ट पटवारी हल्का हंसपुर

महोदय, जिला बंदोबस्त प्रथम भूअभिलेख (सन 2002) ग्राम हंसपुर स्व.न. 1054/0.12 में खातेदार का नाम महादेव पुत्र नारायण दर्ज है, उक्त स्व.न. 1054/0.12 से नवीन भूअभिलेख में नये खाता नम्बर 515, 524 बने जिसमें खातेदार का नाम सरना के महादेव पुत्र नारायण के स्थान पर महादेव पुत्र सरना दर्ज हो गया। अतः मुताबिक प्रथम निस्तार पत्रक 2002 मृत खातेदार का महादेव का महादेव पुत्र सरना के स्थान पर महादेव पुत्र नारायण (रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत) किया जाना उचित है।

खाता सं० 200

श्रीमान जी खातेदार महादेव पुत्र सरना के स्थान पर सही नाम महादेव पुत्र नारायण शुद्धि किया जाना उचित है।

03/06/23
प. हाकुर

3/6/23

3/6/23 रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आँकड़े आ.भू.अ.नि. के ग्राम हंसपुर के खाता सं० 200 में दर्ज महादेव पि० सरना सुरक्षा भाग दर्ज है। जमाबंदी सन् 2029 - 2032 एवं प्रथम अभिलेख निस्तार के क्रमिक महादेव पि० नारायण दर्ज है। किसी भूअभिलेख के समय महादेव पि० सरना कर दिया गया बाद जमाबंदी में सरना महादेव पि० सुरक्षा दर्ज हो गया अतः महादेव पि० नारायण सुरक्षा भाग की शुद्धि की जाती है।

आदेश

तहसीलदार (श्रीमाधोपुर)

मुताबिक पटवारी भू.अ.नि. रिपोर्ट संलग्न जमाबंदी सन् बन्दोबस्त सम्वत् 2008 की प्रति, निस्तार पत्रक के अवलोकन एवं तहसीलदार की अभिसंस्तुति के अनुसार [illegible] में दर्ज महादेव पुत्र सरना के स्थान पर महादेव पुत्र नारायण [illegible] स्वीकृति दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:16 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर